

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था0-2/अ/07/2007/१४२

भोपाल, दिनांक 15/06/07

/संशोधन आदेश/

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश कमांक स्था0-2/ए/449-450,451-452, एवं 453-454, दिनांक 15.03.07 द्वारा शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता पद पर पदोन्नति की जाकर पदोन्नत व्याख्याताओं की पदस्थापना कालम कमांक 4 में अंकित संस्था में की गई थी। शासन एकल नस्ती कमांक 229/07 दिनांक 11.06.2007 द्वारा प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित पदोन्नत व्याख्याताओं की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख कालम कमांक 5 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से की जाती है:-

स. क.	नाम एवं पदोन्नति पूर्व पदस्थ संस्था	विषय	पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना	संशोधित पदस्थापना
1	2	3	4	5
1	श्री लाल बहादुर सिंह, प्र.अ. शास.मा.वि.बमुरी, सीधी	भूगोल	शा.बा.उ.मा.वि. हिनौती सीधी	शा.उ.मा.वि.गिजवार, सीधी
2	श्री गोकुल प्रसाद वर्मा, प्र.अ. शा. हाईस्कूल सरौधा सीधी	भूगोल	शा.उ.मा.वि.गिजवार, सीधी	शा.बा.उ.मा.वि. हिनौती सीधी
3	श्री धनपति प्रसाद प्रजापति, प्र.अ.शा.मा.शा. अमो सीधी	भूगोल	शा.क.उ.मा.वि. पोखरा सीधी	शा.उ.मा.वि. वरिगवां सीधी

1. पदोन्नति आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेगी।
2. पदोन्नत व्याख्याता दिनांक 22 जून 2007 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संशोधित पदांकित संस्था में व्याख्याता पद पर देंगे। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर इनकी पदोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

आयुक्त/लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल ।
2. निज सचिव, राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीधी की ओर सूचनार्थ ।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी सीधी की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति आदेश में उल्लेखित शर्तों की पुष्टि उपरान्त पदोन्नत व्याख्याताओं को उपरोक्तानुसार संशोधित पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर निर्देशित करें कि वे निर्धारित समयावधि दिनांक 22 जून 2007 तक अनिवार्य रूप से संशोधित पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करें ।
7. प्राचार्य शा.उ.मा.वि. गिजवार/बा. हिनौती/पोखरा/वरिगवां की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संबंधित पदोन्नत व्याख्याताओं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

आयुक्त/लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश